राजू उर्फ राजकुमार विरूद्ध शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4236–तीन/14 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बांधवगढ़ के द्वारा प्र0क0 106/अ–68/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । इस प्रकरण में तहसीलदार ने आयुक्त के आदेशानुसार प्रकरण पुनः विचार हेतु प्रचलन में लिए जाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति चाही गई है इस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने अनुमति प्रदान की है और यह व्यक्त किया है कि आलोच्य अतिक्रमण के अतिरिक्त कोई अतिक्रमण है तो उसका अलग से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाये । उनके इस आदेश में कोई अवैधता या विसंगति नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

(1)

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क्रमांक : R 4236-III /2014

राजू उर्फ राजकुमार तनय श्री मानिकराम खट्टर
साकिन उमरिया, तहसील बॉधवगढ़,
जिला उमरिया (म.प्र.) .....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन ..... गैर पुनरीक्षणकर्ता

दिनांक 19-12-14 को
श्री विजयपाल सिंह
अधि० द्वारा प्रस्तुत।
19-12-14
SO

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 19.11.14 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बॉधवगढ़ बाबत तहसीलदार बॉधवगढ़ की राजस्व प्रकरण क्र. 106/ ए68/ 2004–2005 की आदेश पत्रिका दिनांक 18.11.14

Vijaypal Singh
(Advocate)